न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 57/2019/ आवेदन 136 एलआरएक्ट
1. गोपालसिह पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी रूपपुरा (रेटा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. **श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम वकील प्रार्थी की ओर से।**

नि र्ण य दिनांक – **10.02.2021**

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 822, 829, 830, 836, 838, 840 ता 843 किता 9 कुल रकबा 3.72 है0 वाके ग्राम रूपपुरा व कृषि भूमियां खसरा नम्बर 173, 174, 183, 184, 186 ता 191 किता 10 कुल रकबा 5.58 है0, खसरा नम्बर 185 रकबा 0. 05 है0 ग्राम सुखपुरा प0ह0 रेटा तथा तथा कृषि भूमिया खसरा नम्बर 852 ता 856, 858, 871, 872, 875 ता 877 किता 10 कुल रकबा 5.10 है0 खसरा नम्बर 891/2536, 892/2577, 984 किता 3 कुल रकबा 4.26 है0 वाके ग्राम कोछोर पटवार हल्का कोछोर तह0 दांतारामगढ जिला सीकर अवस्थित है। जिसमें प्रार्थी का हक हिस्सा कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा है। इस प्रकार प्रार्थी के नाम से ग्राम रूपपुरा की भूमियों में उसका नाम रामगोपाल पुत्र बालूराम ग्राम सुखपुरा की भूमियों में गोपी पुत्र बालू व ग्रम कोछोर की भूमियों में गोपाल पुत्र बालू संहवन से दर्ज है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम गोपालसिह पुत्र बालूराम है जो कि सभी पहचान के दस्तावेजात आर्थात परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक पास बुक आदि एवं अन्य समस्त रिकार्ड में दर्ज है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रामगोपाल पुत्र बालूराम व गोपी पुत्र बालू के नाम को दुरूस्त कर संशोधित करते हुए गोपाल सिह पुत्र बालूराम दर्ज करवाया जाना अति आवश्यक है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है व प्रार्थी को यह रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी कई बार–बार अप्रार्थी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों से निवेदन कर चुका है परन्तु आज तक कोई

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

प्रभावी कार्यवाही नहीं हुइ है। वाद कारण असरा करीब 10–12 रोज पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा आवेदक का नाम दुरूस्त करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण-प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवदेन पेश कर अंत मे यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 822, 829, 830, 836, 838, 840 ता 843 किता 9 कुल रकबा 3.72 है0 वाके ग्राम रूपपुरा व कृषि भूमियां खसरा नम्बर 173, 174, 183, 184, 186 ता 191 किता 10 कुल रकबा 5.58 है0, खसरा नम्बर 185 रकबा 0.05 है0 ग्राम सुखपुरा प0ह0 रेटा तथा तथा कृषि भूमिया खसरा नम्बर 852 ता 856, 858, 871, 872, 875 ता 877 किता 10 कुल रकबा 5.10 है0 खसरा नम्बर 891/2536, 892/2577, 984 किता 3 कुल रकबा 4.26 है0 वाके ग्राम कोछोर पटवार हल्का कोछोर तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम रामगोपाल पुत्र बालूराम व गोपी पुत्र बालू के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम गोपालसिह पुत्र बालूराम संशोधित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम रामगोपाल पुत्र बालूराम व गोपी पुत्र बालू के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम गोपालसिह पुत्र बालूराम संशोधित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम रूपपुरा के सम्वत 2076–79 में रामगोपाल पुत्र बालूराम जाति जाट दर्ज है व ग्राम सुखपुरा जमाबन्दी संवत 2076–79 में गोपी पुत्र बालू जाति जाट दर्ज है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम रूपपुरा की जमाबन्दी संवत 2032–35 ना0सं0 114 से हिस्से से रामगोपाल पिता बालूराम जाति जाट सा0 सुखपुरा दर्ज है व ग्राम सुखपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2028–31 में नामान्तरकरण संख्या 69 द्वारा बालू पिता भेभा की विरासत से गोपी पिता बालू दर्ज है। ग्राम कोछोर के सम्वत 2076–79 में गोपाल पुत्र बालूराम दर्ज है। जमाबन्दी सं0 2036–39 में नाम0सं0 459 दिनांक 21.07.1983 द्वारा दल्ला के द्वारा हिस्सा में से गोपाल पिता बालूराम कौम जाट के नाम से दर्ज हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम गोपालसिह दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। **प्रार्थी का आवदेन अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 822, 829, 830, 836, 838, 840 ता 843 किता 9 कुल रकबा 3.72 है0 वाके ग्राम रूपपुरा व कृषि भूमियां खसरा नम्बर 173, 174, 183, 184, 186 ता 191 किता 10 कुल रकबा 5.58 है0, खसरा नम्बर 185 रकबा 0.05 है0 ग्राम सुखपुरा प0ह0 रेटा तथा तथा कृषि भूमिया खसरा नम्बर 852 ता 856, 858, 871, 872, 875 ता 877 किता 10 कुल रकबा 5.10 है0 खसरा नम्बर 891/2536, 892/2577, 984 किता 3 कुल रकबा 4.26 है0 वाके ग्राम कोछोर पटवार हल्का कोछोर तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज प्रार्थी का नाम रामगोपाल पुत्र बालूराम व गोपी पुत्र बालू व गोपाल पुत्र बालू के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम गोपी उर्फ गोपाल सिंह पुत्र बालूराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ